सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **76 / 2019** दायर दिनाँक **22.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र हीरिया उम्र 80 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चौलूखां, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 2. नेमाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 3. पेमाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 4. भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 5. बुद्धाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 6. रामदेवाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 7. रामअवतार पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला समस्त जाति प्रजापत निवासीगण चौलूखां तहसील डीडवाना । 8. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी

दिनाँक **17.08.2021**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि कृषि भूमि खसरा सं0 84 रकबा 2.59 हैक्ट., खसरा सं0 140 रकबा 2.61 हैक्ट. किस्म बारानी प्रथम एवं द्वितीय जिसके पुराने खसरा नम्बर 74 रकबा 16 बीघा कृषि भूमि खसरा सं0 83 रकबा 3.60 हैक्ट. जिसके पुराने खसरा सं0 75 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम ग्राम चौलूंखा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना में अवस्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादीगण चले आ रहे है।

यह है कि सम्वत 2038 से 2041 की जमाबंदी में वादी के कब्जा काश्त की भूमि खसरा सं0 75 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा दर्ज थी परन्तु सम्वत् 2043 से 2046 की जमाबन्दी में खसरा सं0 75 के स्थान पर खसरा सं0 74 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी के कब्जा काश्त की भूमि 2043 से 2046 में खसरा नम्बर 75 दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 में दर्ज खसरा नम्बर 82—83 के स्थान पर खसरा नम्बर 84 वादी के नाम दर्ज होना चाहिये।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] उर्फ कुम्भाराम पुत्र रूघनाथ के वारीसगण है। कुम्भाराम व [illegible] दिनांक 19.11.2013 को हो गया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को पक्षकार संयोजित किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के [illegible] मांगीलाल का देहान्त हो चुका है। जिसके वारीसगण प्रतिवादी संख्या 0[illegible] 07 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

कि दावा डिक्री बहक वादी एवं प्रतिवादीगण किया जाकर वादी के हक में खसर नम्बर 75 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये खसरा 84 रकबा 3.62 हैक्ट. का खतौनी में दर्ज कर दुरूस्ती किया जावें। एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को कृषि भूमि खसरा सं0 पुराने 74 रकबा 16 बीघा जिसके नये खसरा सं0 82 रकबा 0.02 हैक्ट. व खसरा सं0 83 रकबा 2.57 हैक्ट. कुल रकबा 2.59 हैक्ट. का खातेदार दर्ज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वाद में वादी मोहनराम पुत्र हीरिया ने शपथ पत्र पेश हुए। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1423 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार सम्वत 2038–41 की जमाबंदी में खसरा सं0 74 वर्तमान खसरा सं0 82, 83 कुम्भला पुत्र रूगनाथ के नाम खातेदारी दर्ज थी। परन्तु 2043–46 जमाबंदी बनाते समय कुम्भला की खातेदारी खसरा सं0 75 वर्तमान खसरा नं0 84 में दर्ज हो गयी। इसी प्रकार संवत 2038–41 की जमाबंदी में खसरा सं0 75 वर्तमान खसरा सं0 84 तिलोका मोहन पि. हीरीया कौम भाम्बी के नाम खातेदारी दर्ज थी। परन्तु 2043–46 जमाबंदी बनाते समय 75 के स्थान पर नया खसरा सं0 84 व खसरा सं0 74 नया खसरा सं0 82, 83 दर्ज हो गया। जिसका रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद चौलुखां में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 84 की खातेदार कुम्भला पुत्र रूघनाथ जाति कुम्हार के स्थान पर मोहनराम पुत्र हीराराम व खसरा संख्या 82, 83 खातेदार मोहनराम पुत्र हीरीया जाति भांबी के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र रूघनाथ राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **17.08.2021** को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 76/2019 दायर दिनाँक 22.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र हीरिया उम्र 80 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चौलूखां, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 2. नेमाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 3. पेमाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 4. भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 5. बुद्धाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 6. रामदेवाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला 7. रामअवतार पुत्र कुम्भाराम उर्फ कुम्भला समस्त जाति प्रजापत निवासीगण चौलूखां तहसील डीडवाना । 8. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 17.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद चौलुखां में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 84 की खातेदार कुम्भला पुत्र रूघनाथ जाति कुम्हार के स्थान पर मोहनराम पुत्र हीराराम व खसरा संख्या 82, 83 खातेदार मोहनराम पुत्र हीरीया जाति भांबी के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र रूघनाथ राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत......................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner